

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**  
**(IRRIGATION BRANCH)**

**Notification**

The 25th October, 2007

**No. S.O. 84/H. A. 29/1974/S.65/2007.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (Act 29 of 1974) and with reference to Haryana Government, Public Works Department (Irrigation Branch), notification No. S.O. 58/H.A. 29/1974/S.65/2007, dated the 6th July, 2007, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2007.
2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, in the "Schedule of Water Rates", in Part II, under heading "Other than irrigation purposes", under columns 1, 2, 3 and 4, for serial numbers 1, 2 and 3 and entries thereagainst and note thereunder, the following serial numbers and entries thereagainst and note thereunder shall be substituted, namely :—

1	2	3	4
1.	Brick making and pisewall building and water for construction work	Per 2500 Cubic feet	Rs. 500.00
2.	Water supply in Bulk :— Industries, Power Plants and other Bulk users	Per 2500 Cubic feet	Rs. 250.00
3.	Drinking purposes	Per 2500 Cubic feet	Rs. 10.00

**Note :**

1. 10% surcharge shall be charged extra for not releasing the payment within one month of raising the bills and after one month surcharge will be charged @ 1% per month of the balance amount.
2. The bill will be raised monthly."

R. N. PRASHER,  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government Haryana,  
Irrigation Department, Chandigarh.

भाग III

हरियाणा सरकार  
लोक निर्माण विभाग  
(सिंचाई शाखा)  
अधिसूचना

दिनांक 25 अक्टूबर, 2007

संख्या का०आ० 84/ह०अ० 29/1974/घा० 65/2007.—हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम 29), की धारा 65 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा), अधिसूचना संख्या का०आ० 58/ह०अ० 29/1974 घा० 65/2007, दिनांक 6 जुलाई, 2007, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (संशोधन) नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 में, "जल दरों की अनुसूची" में, भाग-II में, "सिंचाई परियोजनाओं से मिला" शीर्ष के नीचे, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 तथा उनके सामने प्रविष्टियों तथा उनके नीचे टिप्पण के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यायें तथा उनके सामने प्रविष्टियां तथा उनके नीचे टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4
1.	ईट बनाना तथा कच्ची ईंटों की दीवार का निर्माण तथा निर्माण कार्य के लिए जल	प्रति 2500 घन फुट	500.00 रुपये
2.	निम्नलिखित के लिए बल्क में सप्लाई किया गया जल :— उद्योग, विद्युत संयंत्र तथा अन्य बल्क उपयोगकर्ता	प्रति 2500 घन फुट	250.00 रुपये
3.	पेय प्रयोजनों	प्रति 2500 घन फुट	10.00 रुपये

टिप्पण :

1. बिलों के जारी करने के एक मास के भीतर भुगतान न किए जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार प्रभारित किया जाएगा और एक मास के बाद बकाया राशि पर प्रतिमास एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार प्रभारित किया जाएगा।
2. बिल प्रति मास जारी किया जाएगा।”।

आर० एन० पराशर,  
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
सिंचाई विभाग, चण्डीगढ़।